



पत्रांक:—मान्यता/6696

दिनांक. 16/10/17

सेवा में,

प्राचार्य/निदेशक/सचिव  
नालन्दा कालेज ऑफ एजुकेशन,  
मियावाला, तिराहा हरिद्वार रोड,  
देहरादून।

महोदय,

निरीक्षण समिति की संस्तुति दिनांक 31.08.2017 और संस्थान प्रबन्धन द्वारा समिति को दिये गये 31 बिन्दुओं के शपथ पत्र के आधार पर कुलपति महोदय द्वारा नालन्दा कालेज ऑफ एजुकेशन, मियावाला तिराहा, हरिद्वार रोड, देहरादून को अधिनियम की धारा 4 (f) एवं 46 (2) के अनुसार बी०एड० पाठ्यक्रम में 100 सीट के साथ शैक्षणिक सत्र 2017-18 के लिए अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण की स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के साथ कि— एन०सी०टी०ई० के मानकों को पूर्ण करने के लिए रिक्त शिक्षकों के पदों पर शीघ्र विधिवत नियुक्ति करनी होगी तथा मानकानुसार सत्र 2017-18 के लिए निर्धारित समय तक अतिरिक्त पुस्तकें क्य करनी होंगी।

अन्य प्रतिबन्ध निम्नवत होंगे:—

1. एन०सी०टी०ई०/यू०जी०सी०/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शैक्षिक अर्हता धारक शिक्षकों की नियुक्ति करनी होगी।
2. एस०सी०/एस०टी०/ओ०बी०सी० के छात्रों को नियमानुसार आरक्षण देना होगा।
3. शिक्षकों को यू०जी०सी० द्वारा निर्धारित वेतन का भुगतान एकाउन्ट पे के माध्यम से करना होगा।
4. इस विश्वविद्यालय से सम्बद्धता के लिए निर्धारित परिसर में किसी अन्य विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम संचालित नहीं किये जायेंगे तथा दूसरे विश्वविद्यालय का दूरस्थ शिक्षा अध्ययन केन्द्र संचालित नहीं करेगा।
5. कुलपति महोदय एवं स्टेटयूटरी बोर्ड द्वारा जारी आदेश/निर्देशों का पूर्णतया पालन करना होगा।
6. विश्वविद्यालय द्वारा मांगी गई सूचनाओं को उपलब्ध कराने हेतु बाध्य होगा।
7. निरीक्षण के समय सभी शिक्षकों/शिक्षणोत्तर कार्मिकों के फार्म-16 देने होंगे।

उपरोक्त प्रतिबन्धों का अनुपालन निम्नवत करना होगा:—

1. एक माह के अर्न्तगत फ़ैकल्टी के नियुक्ति पत्र एवं कार्यभार ग्रहण करने की सूचना विश्वविद्यालय को प्रेषित करनी होगी।
2. प्रत्येक तीन माह में फ़ैकल्टी को किये गये वेतन भुगतान का बैंक स्टेटमेन्ट विश्वविद्यालय को प्रेषित करना होगा।
3. स्वीकृत सीटों पर दिये गये प्रवेशों में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण सहित सूची विश्वविद्यालय को तीन माह के अर्न्तगत उपलब्ध करानी होगी।
4. उपरोक्त का अनुपालन न करने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

भवदीय

डा०(ए. के. मोहन्ती)  
संयुक्त कुलसचिव, मान्यता

प्रतिलिपि:— 1. उपकुलसचिव परीक्षा।  
2. प्रति कुलपति, कुलपति महोदय के सादर सूचनार्थ।  
3. गार्ड फाइल।

डा०(ए. के. मोहन्ती)  
संयुक्त कुलसचिव, मान्यता